न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 27/2021 दायर दिनांकः 26/07/2021

उनवान

1. चेतन नागर उम्र 18 वर्ष पुत्र भीमराज नागर जाति धाकड निवासी सहरोद तहसील अटरू जिला बारा (राज०)।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री हरिश गालव।

आदेश दिनाकः 06/10/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल सहरोद तहसील अटरू में खाता संख्या 253 की कुल किता 3 का रकबा 4.22 है0 हिस्सा 1/25 आराजी भूमि स्थित चली आ रही है। जो प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद प्रार्थी के खाते दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में राजस्व कर्मचारियों ने फौती इंतकाल दर्ज करते समय त्रुटिवश प्रार्थी चेतन नागर पुत्र भीमराज नागर के स्थान पर चेतन प्रकाश पुत्री भीमराज कर दिया। त्रुटिवश दर्ज हुए नाम का न्याय हित में दुरूस्त होना अति आवश्यक है। नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थी का तमाम दस्तावेज पत्र, आधारकार्ड, राशन कार्ड, आदि सभी दस्तावेजात में चेतन नागर ही दर्ज है। उक्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से प्रार्थी को अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बैंकिग कार्य, कृषि ऋण, कृषि योजनाओं आदि के लिए भी प्रार्थी को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पडता है। जिससे प्रार्थी को कई प्रकार की असुविधाएं होती है। प्रार्थी ने तहसीलदार महोदय एवं हल्का पटवारी महोदय के समक्ष भी नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2022.01.28 16:05:14 IST
Reason: SelfAttested

दुरूस्ती के लिए निवेदन किया जिस पर उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। इस हेतु माननीय न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र श्रीमान के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है जो उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि नकल जमाबन्दी सहरोद के खाता संख्या 253 की कुल किता 3 का रकबा 4.22 है0 हिस्सा 1/25 आराजी पर प्रार्थी का नाम दुरूस्त कर चेतन प्रकाश पुत्री भीमराज के स्थान पर चेतन नागर पुत्र भीमराज नागर दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत **pw 1** का शपथ पत्र पेश किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी ग्राम सहरोद के खाता संख्या 253 की कुल किता 3 का रकबा 4.22 है0 हिस्सा 1/25 आराजी पर प्रार्थी का नाम दुरूस्त कर चेतन प्रकाश पुत्री भीमराज के स्थान पर चेतन नागर पुत्र भीमराज नागर दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रिकार्ड एवं साक्ष्य का अवलोकन किया गया संवत 2073–2076 की जमाबन्दी ग्राम सहरोद के खाता संख्या 253 की कुल किता 3 का रकबा 4.22 है0 हिस्सा 1/25 में प्रार्थी का नाम नाबालिग चेतनप्रकाश पुत्री भीमराज दर्ज है। अन्य रिकार्ड आधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंक तालिका वर्ष 2018 में प्रार्थी का नाम चेतन नागर पुत्र भीमराज नागर दर्ज है तथा कार्यालय ग्राम पंचायत सहरोद के प्रमाण पत्र दिनांक 26.08.2021 के अनुसार प्रार्थी को चेतन नागर के नाम से जाना जाता है।

रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2022.01.28 16:00:14 IST
Reason: SelfAttested

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल सहरोद के खाता संख्या

253 की कुल किता 3 का रकबा 4.22 है0 हिस्सा 1/25 में सहखातेदार चेतनप्रकाश पुत्री भीमराज के स्थान पर चेतन नागर पुत्र भीमराज नागर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2022.01.28 16:00:14 IST
Reason: SelfAttested